

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 466 सन 2020/ऑन लाईन नम्बर:-2020/00849

अनवान :-

1. ओमप्रकाश पुत्र लादुराम जाति जाट साकिन भूकरका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

वनाम

1. शिवप्रकाश पुत्र लादुराम जाति जाट साकिन भूकरका तहसील नोहर।
2. सनावती पत्नी लादुराम जाति जाट साकिन भूकरका तहसील नोहर।
3. सुशीला पुत्री लादुराम जाति जाट साकिन भूकरका तहसील नोहर।
4. रचना पत्नी लादुराम जाति जाट साकिन भूकरका तहसील नोहर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 02/11/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा भूकरका के खाता संख्या 632/625 की कुल 4.8690 हैक व रोही मौजा चक 6 बरानी के खाता संख्या 468/424 की कुल 3.9590 हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता लादुराम के नाम से दर्ज है।

वादी के पिता लादुराम वल्द मोतीराम का देहान्त हो चुका है लादुराम वल्द मोतीराम के जायज वारिसान उसके पुत्र/पुत्रीया वादी, प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 है जो लादुराम पुत्र मोतीराम की कृषि भूमि पाने के अधिकारी है

प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किया जा चुका है। इसीप्रकार प्रतिवादी संख्या 2 वादी की माता है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 बहिब के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकवाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वादी भूमि वादी के पिता लादुराम वल्द मोतीराम के नाम से दर्ज है जिनका देहान्त हो चुका है जिसके जायज व कानुनी वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 है जो लादुराम की भूमि पाने के अधिकारी है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग अपने भाई/पुत्रों वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किया जा चुका है वाद भूमि इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से उनके बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 5 परोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा भूकरका के खाता संख्या 632/625 की कुल 4.8690 हैक व रोही मौजा चक 6 वारानी के खाता संख्या 468/424 की कुल 3.9590 हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता लादुराम के नाम से दर्ज है।

वादी के पिता लादुराम वल्द मोतीराम का देहान्त हो चुका है लादुराम वल्द मोतीराम के जायज वारिसान उसके पुत्र/पुत्रीया वादी, प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 है जो लादुराम पुत्र मोतीराम की कृषि भूमि पाने के अधिकारी है

प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किया जा चुका है। इसीप्रकार प्रतिवादी संख्या 2 वादी की माता है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा भूकरका के खाता संख्या 632/625 की कुल 4.8690 हैक व रोही मौजा चक 6 वारानी के खाता संख्या 468/424 की कुल 3.9590 हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता लादुराम के नाम से दर्ज है।

वादी का कथन है कि उसके पिता लादुराम वल्द मोतीराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज व कानुनी वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 है जो लादुराम के नाम से दर्ज कृषि भूमि पाने के अधिकारी है अपने कथनों के समर्थन में लादुराम का मृत्यु एवं वारिस प्रमाण पत्र पेश किया। प्रस्तुत वारिस मृत्यु प्रमाण पत्र एवं वारिस प्रमाण पत्र के अनुसार लादुराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 है अर्थात वाद भूमि के वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 हकदार है

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो

किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है


उपपंड अधिकारी
दोहर

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चरपा होते हैं के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टांप ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा भुकरका के खाता संख्या 632/625 की कुल 4.8690हैक में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 बहिव के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तथा रोही मौजा चक 6 बरानी के खाता संख्या 468/424 में वादी ओमप्रकाश के हिस्से में प0न0 296/410(216) किला न0 25/0.2530 ,प0न0 296/411(217) किला न0 2/0.152 ,3 ता 5/0.7590 ,6/0.225 ,7/0.225 ,8/0.225 ,9/0.065 ,कुल 1.904हैक बरानी प्रथम प0न0 0 के किला न0 0/2 की 0.075हैक गै0मु0 रास्ता भूमि रहेगी एवं प्रतिवादी संख्या 1 शिवप्रकाश के पास प0न0 296/411(217) के किला न0 6/0.28 ,7/0.028 ,8/0.028 ,9/0.024 ,12/0.051 ,13/0.228 ,14 ता 18/1.265 ,25/0.2530 ,कुल 1.905हैक एवं प0न0 0 किला न0 0/2 की 0.075हैक गै0मु0 रास्ता भूमि रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टांप तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसाल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 02/11/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनुमानगढ़)



सत्यमेव जयते

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. ओमप्रकाश पुत्र लादुराम जाति जाट साकिन भूकरका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. शिवप्रकाश पुत्र लादुराम जाति जाट साकिन भूकरका तहसील नोहर।
2. सनावती पत्नी लादुराम जाति जाट साकिन भूकरका तहसील नोहर।
3. सुशीला पुत्री लादुराम जाति जाट साकिन भूकरका तहसील नोहर।
4. रचना पत्नी लादुराम जाति जाट साकिन भूकरका तहसील नोहर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।


प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 466. सन 2020 निर्णय दिनांक-02/11/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेशकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सयुक्त एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा भुकरका के खाता संख्या 632/625 की कुल 4.8690 हैक् में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तथा रोही मौजा चक 6 बरानी के खाता संख्या 468/424 में वादी ओमप्रकाश के हिस्से में प0न0 296/410(216) किला न0 25/0.2530 ,प0न0 296/411(217) किला न0 2/0.152 ,3 ता 5/0.7590 ,6/0.225 ,7/0.225 ,8/0.225 ,9/0.065 ,कुल 1.904 हैक् बरानी प्रथम प0न0 0 के किला न0 0/2 की 0.075 हैक् गै0मु0 रास्ता भूमि रहेगी एवं प्रतिवादी संख्या 1 शिवप्रकाश के पास प0न0 296/411(217) के किला न0 6/0.28 ,7/0.028 ,8/0.028 ,9/0.024 ,12/0.051 ,13/0.228 ,14 ता 18/1.265 ,25/0.2530 ,कुल 1.905 हैक् एवं प0न0 0 किला न0 0/2 की 0.075 हैक् गै0मु0 रास्ता भूमि रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 02/11/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)